उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– 334 / VIII / 19–228(श्रम) / 2001–पार्ट–II

देहरादून, दिनांकः 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 370 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में **"हस्तकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग के नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	8306
2	अर्द्धकुशल	8380
3	कुशल	8516
4	अतिकुशल	8634
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी– एक	8609
	(क) श्रेणी– दो	8504

टिप्पणी– कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– **परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः–** अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1 / 26 से कम न होगी।

355

16/3/19

4— घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5— ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6— मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7— जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8— ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9— यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल –

पल्लेदार, मजदूर, सफाईकार, क्लीनर, पानीवाला, चपरासी, ढुलाई वाला, धोबी, गार्डनर, क्लीपर, पैकर, हैल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल–

रफूगर, पावरलूम रीचर, थ्रोवर, फिनिशिंग, मशीनमैन, थ्रेड साइजर, बैड साइजर, फोल्डर, क्विस्टर, टिवस्टर, चेकर, डिजाइन क्लाथ कटर, आयल बेल्डर, ब्लीचर, स्टाम्पर, आयलर, मार्कर, ब्वायलर, वाटरमैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल–

फिटर, बढ़ई, हैण्डलूम रीचर, ड्रांग मास्टर, जागर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रन्टसाइजर, ड्रायर, वायरमैन, ब्वायलर परिचर, सैल्समैन, मिस्त्री, सुपरवाइजर, इंजन चालक, कलैण्डर मैन, प्रिंटर, दर्जी, कार्ड कटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल–

मैनेजर, डिजाइनमास्टर, अभियन्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी –

(क) लिपिक श्रेणी–एक

हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और अधिष्ठान में कार्य का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

प्रधान मुनीम, प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी–दो

हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और अधिष्ठान में कार्य का न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो।

लिपिक, टंकक, रोकड़िया, मुनीम, मुंशी और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः– 334 (1)/VIII/19–228(श्रम)/2001–पार्ट–II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा॰ मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा॰ श्रम मंत्री, को मा॰ श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।